भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 859

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना

†859. श्री मगुंठा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

श्री बैन्नी बेहननः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उपलब्ध पंजीकृत मानसिक परामर्शदाताओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या पंजीकृत मानसिक परामर्शदाताओं की यह संख्या देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवा की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो पंजीकृत मानसिक परामर्शदाताओं की संख्या बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार करने के लिए क्या पहलें की गई हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार के पास पूरे भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों को बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ) देश में पंजीकृत मानसिक परामर्शदाताओं की संख्या से संबंधित आंकड़े केंद्र के स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) से प्राप्त सूचना के अनुसार, आरसीआई द्वारा बनाए गए केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) में 3551 नैदानिक मनोचिकित्सक, 2828 पुनर्वास मनोचिकित्सक और 209 पुनर्वास चिकित्सक पंजीकृत हैं।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के विशिष्ट परिचर्या घटक के अंतर्गत, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर विभागों में छात्रों की दाखिला संख्या में वृद्धि करने के साथ-साथ विशिष्ट स्तर की उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केन्द्र संस्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में 47 स्नातकोत्तर विभागों को सुदृढ़ करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल

कालेजों/संस्थाओं को भी सहायता प्रदान की है। 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) में भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान किया गया है। ये सेवाएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत भी उपलब्ध हैं।

सरकार वर्ष 2018 से तीन केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों अर्थात् राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम और केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में स्थापित डिजिटल अकादमियों के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या चिकित्सा और परा चिकित्सा/पेशेवरों की विभिन्न श्रेणियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करके, देश के अल्पसेवित क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए जनशक्ति की उपलब्धता को भी बढ़ा रही है।

देश में वहनीय और सुलभ मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों में कार्यान्वयन की मंजूरी दी गई है जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। डीएमएचपी के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरों पर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में बहिरंग रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक कार्यकलाप, गंभीर मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों को सतत परिचर्या और सहायता, औषधियाँ, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। उपर्युक्त सेवाओं के अतिरिक्त, जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाली अंतरंग रोगी सुविधा का प्रावधान है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.73 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (यूपीएचसी), और शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (यूएचडब्ल्यूसी), का आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के रूप में स्तरोन्नयन किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के अंतर्गत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत के दायरे में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, न्यूरोलॉजिकल और नशीले पदार्थों के सेवन संबंधी विकारों (एमएनएस), के संबंध में परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

उपरोक्त के अलावा, सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्या सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" (एनटीएमएचपी) शुरू किया है। दिनांक 23.07.2024 तक, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 53 टेली मानस सेल स्थापित किए गए हैं और टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गई हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 11,76,000 से अधिक कॉल हैंडल किए गए हैं।

*****